

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2016/पार्ट-I/ 13684-710 दिनांक:- 8/2/16

आदेश:-

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यक्षीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	से.नि. से पूर्व का विभाग	ए.डी.पी कार्यालय का नाम जिसमें नियुक्ति की जानी है	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बाबू लाल लोट	05.07.53	कोष कार्यालय चित्तोडगढ	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
2.	श्री सत्यप्रकाश गोड	12.07.54	चिकित्सा विभाग	एडीपी जयपुर शहर द्वि.	प्रथम बार
3.	श्री भंवर लाल राठौड	01.09.56	अभियोजन विभाग	एडीपी बून्दी	प्रथम बार
4.	श्री रामचन्द्र शर्मा	09.07.55	अभियोजन विभाग	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
5.	श्री रामगोपाल गुप्ता	02.12.53	न्याय विभाग	एडीपी जयपुर शहर द्वि.	प्रथम बार
6.	श्री दर्शन सिंह बग्गा	20.07.57	न्याय विभाग	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
7.	श्री जगदीश चन्द राव	03.12.55	न्याय विभाग	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
8.	श्री बंशी लाल शर्मा	07.07.55	पुलिस विभाग	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
9.	श्री भगवती लाल सोनी	11.07.56	रसद विभाग	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
10.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	12.09.56	अभियोजन विभाग	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
11.	श्री अब्दुल नासीर	04.11.63	न्याय विभाग	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।

- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा दिनांक 28.02.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भूगतान बजट मद 2014-00-114-(02)(01)(41) (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 120411 दिनांक 30.11.2016 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें। तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवायें।

sd
(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन,
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
5. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
6. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

716
8/12/16

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर